



Neutral Citation No. 2026:AHC:17233

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट बी संख्या- 85 / 2026

सिंहासन गुप्ता

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

आशीष कुमार द्विवेदी हरि ओम पांडे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी मुख्य स्थाई

अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को आज के दिन के दौरान इस रिट याचिका में पक्षकारों की सूची में राजस्व परिषद को प्रत्यर्थी संख्या 5 के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाती है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री हरि ओम पांडे राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी और प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
3. यह रिट याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

I. परमादेश की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें संबंधित माननीय न्यायालय को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 2613/2024 (सिंहासन गुप्ता बनाम उप-विभागीय अधिकारी और अन्य) का निस्तारण एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे यह मुकदमा वर्तमान में इलाहाबाद स्थित उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर किया गया पुनरीक्षण प्रत्यर्थी संख्या 5 उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद प्रयागराज के समक्ष दिनांक 19.06.2024 से लंबित है। उन्होंने लंबित कार्यवाही की आदेशपत्र भी प्रस्तुत की जिसे रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न किया गया है ऐसा उन्होंने यह दर्शाने के लिए किया कि मामले की सुनवाई या कार्यवाही अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ रही है।
5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्रस्तुत रिट याचिका का अंतिम रूप से इस निर्देश के साथ निस्तारण किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 5—उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद प्रयागराज

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपर्युक्त पुनरीक्षण का निस्तारण विधि के अनुसार और त्वरित गति से करे यह कार्य अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर तथा संबंधित पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत किया जाए।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

22 जनवरी 2026

पीएस*

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"